यू॰पी॰ बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/56/2020 **दिनांक :** 31.03.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

कोविड–19

कोविड–19 के कारण कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं पर हमारे महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा आईबीए को विभिन्न पत्र लिखे गए हैं जिन पर अभी कोई सकारात्मक दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी विषय में एआईबीईए के महामंत्री द्वारा श्री सुनील मेहता, मुख्य कार्यकारी, इंडियन बैंक्स को पत्र संख्या एआईबीईए/जीएस/2020/38 दिनांक 29.3.2020 लिखा गया है जिसका अनूदित सार आप सभी के सूचनार्थ नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति,
श्री सुनील मेहता
मुख्य कार्यकारी,
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन
मुम्बई

प्रिय महोदय,

विषय : कोविड–19

1. हमने कोरोना वायरस के प्रकोप और संक्रमण के खतरे के कारण कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं पर तथा लॉकडाउन, कर्फ्यू, आदि के कारण हमारे सम्मुख परिदृश्य पर अपने पत्रों के माध्यम से आईबीए के साथ कई मुद्दों को उठाया है। अभी तक हमें इन मुद्दों पर आईबीए से कोई सामान्य दिशानिर्देश नहीं मिले हैं लेकिन हम पाते हैं कि प्रत्येक बैंक आर्थिक राहत, सेवा शर्तों में छूट, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, आदि पर अपने स्वयं के दिशानिर्देश दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि आईबीए एक सामूहिक प्रतिनिधि निकाय होने के नाते महसूस करेगा कि यह वांछनीय नहीं है। यह बैंक कर्मचारियों में बहुत भ्रम पैदा कर रहा है कि जब समस्या समान है, तो अलग–अलग बैंकों में दिशानिर्देश अलग–अलग क्यों हैं।

2. इसी तरह, हमने अर्जित अवकाश के नकदीकरण के माध्यम से एक दिन का वेतन दान करने पर विचार करने के लिए आईबीए को लिखा। अभी तक हमने इस संबंध में कुछ भी नहीं सुना है। लेकिन बैंकों ने व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मचारियों को एक दिन/2 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण द्वारा वेतन दान करने के लिए कहना शुरू कर दिया है। इससे यह धारणा जा रही है कि बैंक प्रबंधन/आईबीए इस मुद्दे पर एक नहीं हैं। इस संबंध में आईबीए की ओर से एक सामान्य दिशानिर्देश इस धारणा को दूर कर देगा।

जारी पृष्ठ 2

3. तीसरे, हमने सभी बैंको को सलाह देने के लिए आईबीए को लिखा है कि खाते में वेतन जमा होने, पेंशन जमा होने, सरकार द्वारा लाभों के कार्यान्वयन, आदि के कारण कल से होने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर, सामाजिक दूरी मानक का पालन सुनिश्चित करने हेतु शाखा परिसर में आने वाले ग्राहकों को नियंत्रित करने के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था के अलावा छोटी शाखाओं में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने चाहिए। अन्यथा स्वास्थ्य खतरे के अलावा कई शाखाओं में भारी अव्यवस्था हो सकती है।

4. हमने आपको स्थानीय परिवहन और रेल सेवाओं के बंद होने के कारण कार्यालय में उपस्थित होने में कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में भी लिखा है। वे उपस्थित होने को तैयार हैं लेकिन उनकी शाखाओं तक यात्रा करने और पहुंचने को उनके लिए कोई परिवहन सुविधा नहीं है। ऐसे मामलों में, प्रबंधन को जहां भी संभव हो आवश्यक व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए ताकि कर्मचारी शाखाओं में उपस्थित हो सकें और सेवा प्रदान कर सकें।

आईबीए बैंकों को यह सलाह भी दे सकता है कि कर्मचारियों को निकटतम शाखाओं में हाजिर होने और काम करने की अनुमति देने पर विचार करें जो कर्मचारियों के साथ–साथ अपेक्षित अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए शाखाओं में अतिरिक्त श्रमबल प्राप्त करने में बैंकों के लिए सहायक होगा।

5. इसी तरह, गर्भवती महिला कर्मचारियों और शारीरिक अक्षमताओं वाले कर्मचारियों को घर से काम करने की प्राथमिकता दी जा सकती है जब कर्मचारियों का वैकल्पिक रूप से कार्यालय उपस्थित होने के लिए इस उद्देश्य के लिए आवर्तन किया जाता है।

6. हमें सूचित किया गया है कि कुछ बैंक प्रबंधन निर्देश भेज रहे हैं कि आगामी दिनों में वार्षिक लेखाबंदी, ग्राहकों की भारी भीड़ आदि को देखते हुए, सभी शाखाओं को खुला रखा जाये और कर्मचारियों को ''किसी भी तरह'' कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। यह हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि सार्वजनिक या निजी परिवहन सुविधायें नहीं हैं और यदि प्रबंधन कोई व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, तो कर्मचारियों से कार्यालय में उपस्थित होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र,
ह...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

प्रतिलिपि : चेयरमैन, आईबीए

मामले में हस्तक्षेप करने के अनुरोध के साथ

ह...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री